चार जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

सिरसिया | हिन्दुस्तान संवाद

सिरसिया पुलिस ने गुरुवार को दो महिला समेत चार जालसाज वांछितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों पर एक जमीन को गलत तरीके से बैनामा करने व गवाही देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम गेहुआंभारी निवासी सूर्यनारायन के पिता सुन्दर लाल ने 1992 में एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेंची थी। इसमें जमीन का बैनामा तो हो गया था लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ था। इस बीच सुन्दर लाल की मौत हो गई। दाखिल खारिज न होने से जमीन सूर्यनारायण के नाम वरासत आ गई। इस पर खेतौनी में सूर्यनारायण का नाम अंकित था। जिसका फायदा उठाते हुए सूर्यनारायण ने वह जमीन अपने बहू आरती देवी पुत्री पत्नी ओमकार पाण्डेय के नाम बैनामा कर दिया। इसमें सूर्यनारायण की पत्नी कमला देवी व राजेश कुमार पुत्र जगदीश निवासी लहड़ौरी गवाह बने थे। मामले की जानकारी होने पर खरीदार पक्ष की ओर से सिरसिया थाने में तहरीर देकर जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया। साथ ही मामला न्यायालय में पहुंचा था। तीन माह से सिरसिया पुलिस मामले की विवेचना कर रही थी।

विवेचना में मिले साक्ष्य को देखते हुए चारों की ओर से जालसाजी करना पाया गया। इस पर गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक राम समुझ प्रभाकर टीम के साथ क्षेत्र में वांछितों की तलाश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को जोखवा बाजार स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को थाने लाकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक सुनील कुमार, कामेश्वर सिंह, आरक्षी नीलेश यादव, महिला आरक्षी रिया द्विवेदी व चांदनी शामिल रही।

श्रावस्ती पुलिस